दिनांक 09.02.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी में संधारित है ।

मनरेगा-

मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई । मनरेगा योजना की स्वीकृति एवं व्यय पर चर्चा की गई । चर्चा के कम में चतरा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत लेम में व्यय बहुत कम पाया गया । सीमा पंचायत में पाठक के खेत में कुप निर्माण की स्वीकृत योजना के बदले बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से मुखिया, रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक द्वारा भुईयां के खेत में कूप निर्माण करा दिया गया है इसकी सूचना न पंचायत सेवक, राजगार सेवक और न ही मुखिया द्वारा ही दिया गया है । इसकी सूचना जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति में लाये गये मामले की जाँच में संज्ञान में लाया गया । इसे अप्रासंगिम बताते हुए संबंधित पंचायत सेवक, रोजगार सेवक मुखिया एवं मापी करने वाले कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निश दिया गया ।

हण्टरगंज प्रखण्ड की समीक्षा के कम में व्यय की स्थिति काफी असंतोषप्रद पाया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,हण्टरगंज द्वारा बताया गया कि श्री रामेश्वर प्रसाद एवं श्री जितेन्द्र सिंह कनीय अभियंताओं द्वारा मापी नहीं किया जा रहा है । उपायुक्त द्वारा उक्त दोनों कनीय अभियंताओं का वेतन स्थगित रखने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया । साथ हीं निदेश दिया गया कि इन कनीय अभियंताओं के कार्य मे उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता एवं कार्य शैली के संबंध में विभाग को कार्रवाई हेतु अनुशंसित कर दिया जाए ।

ईटखोरी प्रखण्ड की समीक्षा की गई । समीक्षा में इस प्रखण्ड की व्यय की स्थिति काफी दयनीय पाया गया । योजना की स्वीकृति 68 में मात्र 42 में ही कार्य

प्रारम्भ पाया गया । उपायुक्त द्वारा सभी योजनाओं में कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया । उपायुक्त द्वारा अगली बैठक में इस प्रखण्ड के सभी पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक को बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया ।

गिद्धौर, कान्हाचट्टी, कुन्दा, लावालौग, मयुरहण्ड, पत्थलगड़ा, प्रतापपुर में अवशेष सभी कार्यो को प्रारम्भ कराने का निदेश दिया गया ।

सिमरिया प्रखण्ड में योजना कार्य, राशि व्यय एवं एम0आई0एस0 की स्थिति काफी दयनीय पाया गया ।समीक्षा में बानासांडी में मिटटी मुरम योजना में सिर्फ मुरम कार्य किया गया है । प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,सिमरिया द्वारा बताया गया कि कार्य में राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।उपायुक्त द्वारा उक्त योजना को रद्ध करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने निदेश दिया गया ।

प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारी,सिमरिया द्वारा बताया गया कि राष्टीय उच्च पथ-99 सिमरिया- बिरहु -हजारीबाग के सडक निर्माण कार्य में मजदूरों को 160.00 रू0 प्रतिदिन की दर से नकद मजदूरी मिल रहा है जिसके कारण सभी निबंधित मजदूर सडक कार्य में लगे हुए है । मनरेगा योजना में ध्यान नहीं देते हैं ।उपायुक्त द्वारा बताया गया कि मनरेगा कार्य के लिए मजदूरों को प्रोत्साहित करें एवं समय पर भुगतान हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ।

मनरेगा योजना का निरीक्षण

प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारियों द्वारा मनरेगा योजनाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षा में प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नवत् पाई गई -

क0	प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारी	निरीक्षण किये गये योजनाओं की संख्या	अभियुक्ति
1	चतरा	04	
2	गिद्धौर	02	02
3	कुन्दा	02	

4	पत्थलगडा	01	01
5	प्रतापपुर	04	
6	सिमरिया	03	
7	टण्डवा	07	
8	लावालौंग	03	
09	कान्हाचटटी	03	

ईटखोरी, मयुरहण्ड एवं हण्टरगंज प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया । उपायुक्त द्वारा प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ।

निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन में वास्तविक आंकड़ों एवं सूचनाओं का ही प्रविष्टी करें, भ्रामक आंकड़ें एवं सूचनाऐं नहीं अंकित करें साथ ही योजना प्राक्कलन के अनुसार हो रहा है, योजना स्थल पर वांछित कागजात, वस्तुऐं उपलब्धता का भी सही-सही प्रतिवेदन दें, ताकि तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

<u>इंदिरा आवास योजना एवं आवास सोफ्ट</u>

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 इन्दिरा आवास योजना की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि योजनाओं की प्रगति काफी असंतोषप्रद है व लक्ष्य से आज भी काफी पीछे है साथ ही आज की तिथि में मात्र 4.86 करोड़ का ही आवास साफ्ट में इन्ट्री हो पाया है जबकि वास्तविक व्यय 12.00 करोड़ है। उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय की गई सभी राशि का आवास साफट में इन्ट्री करायें ताकि द्वितीय किस्त के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा सके । इन्दिरा आवास की स्थिति में सुधार हो इसके लिए अगली बैठक में इन्दिरा आवास योजना के सहायक को भी बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया ।

सभी प्रखण्ड पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आवास साफट में इन्ट्री हेतु प्राप्त कराये गये प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन इन्दिरा आवास नोडल पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया । नोडल पदाधिकारी उपायुक्त के समक्ष प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना

एस0ज0एस0वाई0 की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया इसकी प्रगति काफी धीमी है । निदेश दिया गया कि सभी बैंक शाखा प्रबंधकों/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं एल0डी0एम0 के साथ बैठक रखा जाए एवं निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध समीक्षा की जाए ताकि अपेक्षित प्रगति हो सके । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे प्रखण्ड है जहां निर्धारित लक्ष्य से कम आवेदन-पत्र बैंकों में भेजें गये हैं । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि लक्ष्य से अधिक आवेदन-पत्र तैयार कर बैंकों में भेजा जाए ।

समीक्षा के कम में बताया गया कि झारखण्ड ग्रामीण बैंक, प्रतापपुर के शाखा प्रबंधक ग्रेड- I एवं II के आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं करते है । उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि इस संबंध में झारखण्ड ग्रामीण बैंक के नोडल शाखा प्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखण्ड ग्रामीण बैंक को संसूचित किया जाए साथ हीं इस बैंक के सभी शाखा से सरकारी खाता को बन्द करा दिया जाए ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि पेंशन योजना समयबद्ध योजना नही है यह अनवरत चलने वाली (Universal programme) योजना है, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं होती है । साथ हीं प्रत्येक छः माह में पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन आवश्यक है । इसके लिए विहित प्रपत्र भी तैयार किया गया है,

जिसमें प्रतिवेदन तैयार कर भेजना है । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में दिये गये निदेशों का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जाए ।

डी0सी0 विपत्र

डी0सी0 विपत्र की समीक्षा की गई । ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल कार्यालय में लंबित डी0सी0 विपत्र के संबंध में बताया गया कि इस संबंध में महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाए । साथ ही निदेश दिया गया कि शीघ्र डी0सी0 विपत्र उपलब्ध करायें ताकि सामंजन के लिए व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार को भेजा जा सके । राज्य सरकार इस विषय पर काफी गंभीर है अन्यथा लंबित डी0सी0 विपत्र कार्यालय प्रधान के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी । साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य सूत्र विभागों को विधायक मद, मुख्यमंत्री विकास योजना एवं अन्य मद् में व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

ज्रेडा-

ज्रेडा से प्राप्त अनुदानित सोलर लालटने वितरण की समीक्षा की गई । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि पंचायतों में उपलब्ध कराये गये सोलर लालटने की उपयोगिता प्रमाण-पत्र आज तक अप्रापत है जिसके कारण द्वितीय किस्त के लिए अधियाचना नहीं भेजा गया है । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 11-02-2013 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापंक--143--/जि0ग्रा0, दिनांक 14-2-2013

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,चतरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा/ सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-जिला अभियंता, जिला परिषद, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- जिला योजना पदाधिकारी/ आई0ए0पी0 नोड्ल पदाधिकारी/जिला सूचना पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी लिकेंज बैंक शाखा प्रबंधक/ जिला अग्रणी प्रबंधक,चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक--143--/जि0ग्रा0, दिनांक -14.2.2013

प्रतिलिपि- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
चतरा।